राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– 1210 दिनांकः– 14/6/10

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान आवासन मण्डल की दिनांक 13, 14 मई, 2010 को आमंत्रित समीक्षा बैठक में सभी वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मांग की गई थी अतः बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सभी वृत्त कार्यालयों में (कार्यालय उपयोग, वसूली, आवासन) हेतु अधिकतम 4 कम्प्यूटर एवं प्रत्येक खण्ड कार्यालयों में 1 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर संविदा आधार पर किसी फर्म के माध्यम से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F9(1)FD-(1)/BUD /2004 दिनांक 28.07.08 के अनुसार प्रतिमाह दिया जाने वाला मानदेय रू.6000/– से अधिक नहीं होगा, को लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कम्प्यूटर प्रथमतः 6 माह हेतु लगाया जावें एवं संतोषप्रद कार्य करने पर यह अवधि बढ़ायी जा सकती है।

उपरोक्त संविदा आधार पर जो भी फर्म अपने कर्मी लगायेगा वह भविष्य में किसी भी प्रकार का मण्डल की सेवा में लेने हेतु अपना दावा प्रस्तुत नही करेगा। उपरोक्त हेतु अन्य जानकारी हेतु राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय के कम्प्यूटर प्रकोष्ठ से अनुबन्ध की शर्तें के बारे में जानकारी प्राप्त की सकती है।

उपरोक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3 निजी सचिव मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
2. अति0 मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय,(पीएण्डएम) राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त वृत्त..............................राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त खण्ड कार्यालय, खण्ड......................................राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी(बजट) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सचिव 4/6/10